स्पीड पोस्ट

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(A Constitutional Body under Article 338A of the Constitution of India)

File No. AU/10/2017/STGMP/DELAAL/RU-III दिनांकः 19—02—2018

सिटिंग नोटिस

विषयः बेनामी ज़मीन खसरा नंबर 147,150 ग्राम दावाझिर, तहसील चॉद बं नं 128, प.ह.न. 141, कुल रकबा 3.471 हेक्टेयर की बैनामी रजिस्ट्री शून्य कर भू राजस्व संहिता की धारा 170 ख एवं 165 (6) के अन्तर्गत कार्यवाही कराने और **आदिवासी परिवार की पैतृक भूमिस्वामी भूमि को गैर आदिवासी द्वारा बेदखल कर अत्याचार शोषण से हड़पने के संबंध में**— श्री आशाराम उइके, जिला— छिन्दवाड़ा (मध्य प्रदेश) का दिनांक 20/07/2017 का अभ्यावदेन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संवैधानिक अधिदेश और भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण में अन्वेषण करने का निर्णय लिया है। (अभ्यावेदन की प्रतिलिपि संलग्न है)

2. सुश्री अनुसुईया उईके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/की जाने वाली कार्रवाई पर **छिंदवाड़ा सर्किट हाउस में** दिनांक **28.02.2018** को **03.30** बजे सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय उपाध्यक्ष के समक्ष सर्किट हाउस में परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त बैठक दिनांक **28.02.2018** के लिए जरूरी व्यवस्था भी करें।

(आर. के. दुबे)
सहायक निदेशक
दूरभाष—24615012

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव,
   राजस्व विभाग,
   मध्य प्रदेश शासन, मंत्रालय,
   भोपाल (मध्य प्रदेश)
2. कलेक्टर,
   जिला— छिन्दवाड़ा
   (मध्य प्रदेश)

प्रतिलिपिः

1. अनुसंधान अधिकारी, कमरा संख्या 309 निर्माण सदन, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, 52--ए, अरेरा हिल्स, भोपाल—462011 भी उक्त तिथि को छिंदवाड़ा बैठक में मौजद रहें।
2. श्री आशाराम उइके,पिता श्री हिम्मत उइके, निवास ग्राम—पोआमा, तहसील व जिला— छिन्दवाड़ा (मध्य प्रदेश) भी कृपया बैठक में अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित रहें।